पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 143/2020

1. मनीराम पुत्र निकूराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. निकूराम पुत्र बालूराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।
2. नोरगंलाल पुत्र निकूराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।
3. सिलोचना पुत्री निकूराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।
4. शाखा प्रवन्धक पीएनबी बैंक शाखा मलसीसर त0 भादरा।
5. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद सिंगाढीया एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र गढवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरी छोटी के खातां0 सं0 44/43 के खसरा सं0 14/1 की 3.035है0 खसरा सं0 16 की 2.959है0 खसरा सं0 34 की 0.949है0 कुल 6.943है0 प्रतिवादी सं0 1 निकूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 निकूराम का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकि प्रतिवादी सं0 1 व 3 ने अपना हक हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं0 1 मनीराम प्रतिवादी सं0 2 नोंरगलाल को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.7.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 143/2020

1. मनीराम पुत्र निकूराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. निकूराम पुत्र बालूराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।
2. नोरगंलाल पुत्र निकूराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।
3. सिलोचना पुत्री. निकूराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।
4. शाखा प्रबन्धक पीएनबी बैंक शाखा मलसीसर त0 भादरा।
5. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा। :– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री विनोद सिगांढीया : वादी

वकील श्री सुरेन्द्र गढवाल : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 26.7.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा जिगासरी छोटी के खाता0 सं0 44/43 के खसरा सं0 14/1 की 3.035है0 खसरा सं0 16 की 2.959है0 खसरा सं0 34 की 0.949है0 कुल 6.943है0 तथा जिगासरी बडी के खाता सं0 59/60 के खसरा न0 430/169 की 1.518है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 निकूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा बालूराम की खातेदारी हुआ करती थी। बालूराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 निकूराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादीगण अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। वकील वादी ने प्रतिवादी सं0 4 की तर्क अंकित किया व प्रतिवादीगण सं0 5 स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया। साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 मनीराम पुत्र निकूराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी जिगासरी छोटी संवत

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

2072–75 प्रदर्श 1, जमाबंदी संवत 2072–75 खाता सं0 59/60 प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 व जमाबंदी जिगासरी छोटी संवत 2039 प्रदर्श 4 करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही जिगासरी छोटी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी जिगासरी छोटी संवत 2072–75 प्रदर्श 1, जमाबंदी संवत 2072–75 खाता सं0 59/60 प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 व जमाबंदी जिगासरी छोटी संवत 2039 प्रदर्श 4 करवाये जिसमें प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण के अनुसार निकूराम के दो पुत्र मनीराम, नोंरगलाल व एक सिलोचना तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। तथा प्रदर्श 4 से वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है । प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में जिगासरी बडी में अन्य कृषि भूमि होना भी वाद में साबित है इसलिए प्रतिवादी सं0 1 नाम वाद भमि रोही जिगासरी छोटी के राजस्व रिकार्ड में मुताबिक राजीनामा नाम कलमजन किया जाना उचित है व इस प्रकार प्रतिवादी सं0 1 व 3 ने अपना हक हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। चूकिं वाद 88 आरटीएक्ट का है जिसमें विशिष्ट खसरा की घोषणा नहीं कर संयुक्त रूप से वाद भूमि हको की घोषणा की जाती है, इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर आंशिक स्वीकृत किया जाता है।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण· साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरी छोटी के खाता0 सं0 44/43 के खसरा सं0 14/1 की 3.035है0 खसरा सं0 16 की 2.959है0 खसरा सं0 34 की 0.949है0 कुल 6.943है0 प्रतिवादी सं0 1 निकूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 निकूराम का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकि प्रतिवादी सं0 1 व 3 ने अपना हक हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं0 1 मनीराम प्रतिवादी सं0 2 नोंरगलाल को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.7.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner